न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/82

प्रकरण संख्या 49/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

श्री गुरूमुख बनाम तहसीलदार भीण्डर

निर्णय

दिनांक : 08.04.2022

1. प्रार्थी श्री गुरूमुख ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत राजस्व ग्राम बड़गांव के आराजी संख्या 3036 एवं आराजी संख्या 3046 की तरमीम नवीन सेटलमेन्ट मे गलत होने से प्रार्थी श्री गुरूमुख द्वारा आवेदन कर शुद्धि करवाने हेतु कैम्प बड़गावं में आवेदन किया था जिस पर तहसीलदार भीण्डर को जॉच हेतु लिखा गया।

2. उक्त प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम के तहत राजस्व ग्राम बड़गांव के आराजी संख्या 3036 एवं आराजी संख्या 3046 की तरमीम नवीन सेटलमेन्ट मे गलत होने से प्रार्थी श्री गुरूमुख की जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें राजस्व ग्राम बड़गावं की जमाबन्दी संवत् 2050–53 के खाता संख्या 103 में खातेदार अम्बालाल पिता चतरभूज चमार के नाम आराजी संख्या 1407/1 कूल किता 1 रकबा 8–00 बीघा भूमि अंकित भी जिसमें से 5–0 बीघा भूमि श्री पविन्द्रनाथ पिता कंवरलाल, विनोद पिता नारायण, पुष्पेन्द्रनाथ पिता कंवरलाल, डिम्पलदेवी पत्नी पविन्द्रनाथ कालबेलिया एवं नारायणलाल पिता उदयलाल सालवी सा. मंगलवाड़ को बिकाव किया गया जिसका राजस्व रेकर्ड में अमल जरिये नामान्तरण संख्या 2075 दिनांक 05.08.2015 से जमाबन्दी में आराजी संख्या 1407/2 रकबा 5–00 बीघा क्रेता के नाम किया गया एवं शेष भूमि आराजी संख्या 1407/1मी. रकबा 3–00 बीघा भूमि विक्रेता अम्बालाल पिता चतरभूज जटिया के नाम बदस्तुर रही।

3. आराजी संख्या 1407/2 रकबा 5–00 [illegible] 2083 दिनांक 11.09.2015 से सहमति विभाजन एवं नामान्तरण सं[illegible] 2094, 2095, 2096, 2097 दिनांक 23.12.2015 आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हु[illegible] जिसका बिकाव से नामान्तरण संख्या 2185, 2186, 2187, 2188, 2189 द्वारा [illegible] पिता पन्नालाल लौहार के [illegible] दर्ज हुई जिसमें से आराजी संख्या 1407/2 मी. रकबा 1–00 बीघा किस्म आवासीय में से 0–09 बीघा भूमि वाणिज्यिक रेस्टोरेन्ट एवं गेस्ट आउस दर्ज हुई। हाल नवीन सेटलमेन्ट से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:40:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

प्राप्त मिसल बन्दोबस्त एवं नक्शा शीट में आराजी संख्या 3036 रकबा 1.7300 हैक्टेयर भूमि श्री अम्बालाल पुत्र चरतभुज जटिया के नाम से अंकित किया गया एवं आराजी संख्या 3046 रकबा 0.7200 हैक्टेयर भूमि बिलानाम नवीन सेटलमेन्ट रिकॉर्ड में सेटलमेन्ट टीम द्वारा दर्ज किया गया जिसका नवीन सेटलमेन्ट के नक्शा शीट में दोनों आराजी का आपस में अदला बदली कर तरमीम कर दिया गया जिसके कारण हाल एवं साबिक नक्शें का मिलान नहीं होने से उपरोक्त आराजियात में सेटलमेन्ट के बाद में हुए नामान्तरकरणों का अमल नहीं किया जा सका।

4. अतः पुराना रिकॉर्ड जिसमें खातेदारान द्वारा बिकाव, विभाजन, संपरिवर्तन आदि करवाया गया एवं संपरिवर्तन के बाद बिकाव होने पर नामान्तरकरण दर्ज किये जो कि नियमानुसार नहीं किये जाने थे लेकिन नामान्तरण निर्णित हो चुके है जिसके बाद की स्थिति निम्नानुसार है :–

क्र. स.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	किस्म	रकबा
1.	अम्बालाल पिता चतुरभुज जटिया सा.देह	3036	0.6500	बीड़ प्रथम
2.	हीरालाल पिता पन्नालाल लौहार सा. उदयपुर	3036/1	0.1188	आवासीय
3.	हीरलाल पिता पन्नालाल लौहार सा. उदयपुर	3036/2	0.0972	वाणिज्यिक
4.	हीरलाल पिता पन्नालाल लौहार सा. उदयपुर	3036/3	0.0972	आवासीय
5.	हीरलाल पिता पन्नालाल लौहार सा. उदयपुर	3036/4	0.1188	आवासीय
6.	हीरलाल पिता पन्नालाल लौहार सा. उदयपुर	3036/5	0.2160	आवासीय
7.	हीरलाल पिता पन्नालाल लौहार सा. उदयपुर	3036/6	0.2160	आवासीय
8.	हीरलाल पिता पन्नालाल लौहार सा. उदयपुर	3036/7	0.2160	आवासीय
9	बिलानाम काबिल काश्त	3046	0.7200	बीड़ द्वितीय

उपरोक्त अनुरूप नक्शे में तरमीम की गई जो सेटलमेन्ट पूर्व स्थिति ANNEXURE–1 के अनुरूप है। सेटलमेन्ट बाद जो सेटलमेन्ट टीम द्वारा नक्शे में तरमीम की गई वह पूर्ववत नक्शे के अनुरूप नहीं थी। जिसके कारण नामान्तरणकरणों का अमल वर्तमान रिकॉर्ड में नहीं किया जा सका इस स्थिति का नक्शा ANNEXURE–2 है। अतः तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट अनुसार पूर्व नक्शे की तरमीम अनुसार नवीन नक्शे में ANNEXURE–3 अनुसार तरमीम शुद्धि किये जाने हेतु रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:40:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

5. हमने पत्रावली को दर्ज रजिस्ट्रर कर प्रस्तुत दस्तावेज तथा तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो जिसमें सेटलमेन्ट से पूर्व की जमाबन्दी सवत् 2050–2053 एवं वर्तमान जमाबन्दी सवत् 2078–2081 तथा नक्शा ट्रेस पर मनन किया जिसमें राजस्व ग्राम बड़गांव के आराजी संख्या 3036 एवं आराजी संख्या 3046 की तरमीम नवीन सेटलमेन्ट मे गलत होने से प्रार्थी श्री गुरूमुख की जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें राजस्व ग्राम बड़गावं की जमाबन्दी संवत् 2050–53 के खाता संख्या 103 में खातेदार अम्बालाल पिता चतरभूज चमार के नाम आराजी संख्या 1407/1 कूल किता 1 रकबा 8–00 बीघा भूमि अंकित भी जिसमें से 5–0 बीघा भूमि श्री पविन्द्रनाथ पिता कंवरलाल, विनोद पिता नारायण, पुषेन्द्रनाथ पिता कंवरलाल, डिम्पलदेवी पत्नी पविन्द्रनाथ कालबेलिया एवं नारायणलाल पिता उदयलाल सालवी सा. मंगलवाड़ को बिकाव किया गया जिसका राजस्व रेकर्ड में अमल जरिये नामान्तरण संख्या 2075 दिनांक 05.08.2015 से जमाबन्दी में आराजी संख्या 1407/2 रकबा 5–00 बीघा क्रेता के नाम किया गया एवं शेष भूमि आराजी संख्या 1407/1मी. रकबा 3–00 बीघा भूमि विक्रेता अम्बालाल पिता चतरभूज जटिया के नाम बदस्तुर रही। आराजी संख्या 1407/2 रकबा 5–00 बीघा भूमि का नामान्तरण संख्या 2083 दिनांक 11.09.2015 से सहमति विभाजन एवं नामान्तरण संख्या 2093, 2094, 2095, 2096, 2097 दिनांक 23.12.2015 आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हुआ जिसका बिकाव से नामान्तरण संख्या 2185, 2186, 2187, 2188, 2189 द्वारा हिरालाल पिता पन्नालाल लौहार के नाम दर्ज हुई जिसमें से आराजी संख्या 1407/2 मी. रकबा 1–00 बीघा किस्म आवासीय में से 0–09 बीघा भूमि वाणिज्यिक रेस्टोरेन्ट एवं गेस्ट आउस दर्ज हुई। हाल नवीन सेटलमेन्ट से प्राप्त मिसल बन्दोबस्त एवं नक्शा शीट में आराजी संख्या 3036 रकबा 1.7300 हैक्टेयर भूमि श्री अम्बालाल पुत्र चरतभुज जटिया के नाम से अंकित किया गया एवं आराजी संख्या 3046 रकबा 0.7200 हैक्टेयर भूमि बिलानाम नवीन सेटलमेन्ट रिकॉर्ड में सेटलमेन्ट टीम द्वारा दर्ज किया गया जिसका नवीन सेटलमेन्ट के नक्शा शीट में दोनों आराजी का आपस में अदला बदली कर तरमीम कर दिया गया जिसके कारण वर्तमान भू.प्रबन्धन के बाद का नक्शा एवं भू. प्रबन्धन के पूर्व के साबिक नक्शें का मिलान नहीं हो रहा है जिससे भू. प्रबन्धन के बाद में हुये नामान्तरकरणों का अमल नहीं हो पा रहा है। अतः नक्शे में तरमीम की गई जो सेटलमेन्ट पूर्व स्थिति ANNEXURE–1 के अनुरूप है। सेटलमेन्ट बाद जो वर्तमान रेकर्ड रिकॉर्ड में स्थिति का नक्शा ANNEXURE–2 है [illegible] भू. [illegible]न से पूर्व की स्थिति से अलग है। अतः तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट अनुसार [illegible]धन से पूर्व की स्थिति के अनुसार नवीन नक्शे में ANNEXURE–3 अनुसार तरमीम शुद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:40:59 IST
Reason: SelfAttested

6. अतः भू. प्रबन्धन की पूर्व की स्थिति बहाली के लिए श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय द्वारा

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

प्रदत्त निर्देशानुसार जिसमें भू. प्रबन्धन विभाग द्वारा किये गये रद्दोबदल को पुनः ठीक करने के लिए कहा गया जिसमें इस प्रकरण में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व तहसीलदार भीण्डर की अनुशंषा जिसमें भू. प्रबन्धन विभाग द्वारा राजस्व ग्राम बड़गांव के आराजी संख्या 3036 रकबा 1.7300 हैक्टेयर भूमि अम्बालाल पुत्र चतुरभूज जटिया के नाम दर्ज कर दी गई और आराजी संख्या 3046 रकबा 0.7200 हैक्टेयर भूमि बिलानाम दर्ज कर दी गई । नक्शा शीट में दोनो भूमि को आपस में बदल दिया गया। जिसके कारण हाल एवं साबिक नक्शे में मिलान नहीं होने के कारण सेटलमेन्ट के बाद के नामान्तरण दर्ज नहीं हुए जबकि सेटलमेन्ट से पूर्व की स्थिति आराजी संख्या 1407/2 रकबा 5–00 बीघा भूमि नामान्तरण संख्या 2083 दिनांक 11.09.2015 से सहमति विभाजन व नामान्तरण संख्या 2093, 2094, 2095, 2096, 2097 दिनांक 23.12.2015 से आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हुआ जिसका बिकाव से नामान्तरण संख्या 2185, 2186, 2187, 2188, 2189 से हिरालाल पिता पन्नालाल लौहार के नाम दर्ज हो गई जिसके बाद आराजी संख्या 1407/2 मी. रकबा 1–00 बीघा किस्म आवासीय में से 0–09 बीघा भूमि वाणिज्यिक रेस्टोरेन्ट एवं गेस्ट हाउस के नाम दर्ज हुई। अतः भू. प्रबन्धन विभाग की पूर्व की स्थिति बहाली के लिए निचे वर्णित सारणी के अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

सारणी – 1

क्र. स.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	किस्म	रकबा
1.	अम्बालाल पिता चतुरभुज जटिया सा.देह	3036	0.6500	बीड़ प्रथम
2.	हीरालाल पिता पन्नालाल लौहार सा. उदयपुर	3036/1	0.1188	आवासीय
3.	हीरलाल पिता पन्नालाल लौहार सा. उदयपुर	3036/2	0.0972	वाणिज्यिक
4.	हीरलाल पिता पन्नालाल लौहार सा. उदयपुर	3036/3	0.0972	आवासीय
5.	हीरलाल पिता पन्नालाल लौहार सा. उदयपुर	3036/4	0.1188	आवासीय
6.	हीरलाल पिता पन्नालाल लौहार सा. उदयपुर	3036/5	0.2160	आवासीय
7.	हीरलाल पिता पन्नालाल लौहार सा. उदयपुर	3036/6	0.2160	आवासीय
8.	हीरलाल पिता पन्नालाल लौहार सा. उदयपुर	3036/7	0.2160	आवासीय
9	बिलानाम काबिल काश्त	3046	0.7200	बीड़ द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:40:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

7. तहसीलदार भीण्डर पूर्व नक्शे की तरमीम अनुसार नवीन नक्शें में ANNEXURE-3 के अनुसार तरमीम शुद्धि एवं सारणी –1 अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

8. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/4/22

(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर जिला-उदयपुर(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:40:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner